UPSR040012472026

न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– (विनीत कुमार यादव) - **उ०प्र० न्यायिक सेवा – UP**02316

बेल अप्लीकेशन/606/2026

राज्य बनाम. राम चन्द्र

दिनांक–10.03.2026

यह जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या–87/2026 अन्तर्गत धारा–303(2),317(2) बी०एन०एस० थाना को० भिनगा जनपद श्रावस्ती में अभियुक्त **रामचन्द्र** ने इस निवेदन के साथ प्रस्तुत किया है कि उसे रंजिशन फर्जी बरामदगी दिखाकर फंसाया गया है। उसके पास से कोई बामदगी नहीं हुयी है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। वह निर्दोष हैं। अतः उसे उचित जमानतों पर रिहा किया जाये।

अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत का विरोध किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्त दिनांक 28.02.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध इस प्रकरण के अतिरिक्त अन्य कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध सात वर्ष तक या उससे कम दण्ड से दण्डनीय है तथा मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है।

अतः अपराध की प्रकृति, जेल में निरुद्ध रहने की अवधि तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। अभियुक्त को बीस हजार रुपये का जाती मुचलका एवं समान धनराशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर जमानत पर मुक्त किया जाये।

आदेश की एक प्रति जेल अधीक्षक, जिला कारागार श्रावस्ती/बहराइच को प्रेषित की जाये।

(विनीत कुमार यादव)
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
श्रावस्ती।